न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *राजस्व वाद संख्या : 33/2025* *अनवान धापू बनाम सुखराम वगैरह* ***अर्न्तगत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम***	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-1-2026	पत्रावली आज पेश हुई है। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर अधिवक्तागण की बहस सूनी गई। वाद के मुख्यतः तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर ग्राम मोडाथली तहसील झंवर के खसरा संख्या 41/2 रकबा 17.9275 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादिनी संयुक्त खातेदार होने से वादिनी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तथा तथाकथित बेचाननामा दिनांक 23.12.2024 को अवैध रूप से घोषित करने का निवेदन किया है। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से ओर से अधिवक्ता भागीरथ विश्नोई ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का पत्र पेश किया गया। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कथन किया है कि वादिनी ग्राम मोडाथली तहसील झंवर के खसरा संख्या 41/2 रकबा 17.9275 हैक्टेयर कृषि भूमि में रकबा 2.3903 हैक्टेयर भुमि स्वयं ने राजस्व रैकर्ड में दर्ज अपने हिस्से को वाद प्रस्तुतिकरण से पहले जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.12.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेचान कर दी थी। वादिनी स्वयं द्वारा बेचान की गई आराजी पर ही प्रश्नगत वाद पत्र के माध्यम से खातेदारी अधिकारी चाह रही है जबकि स्वयं द्वारा बेचान के उपरांत उसके खातेदारी अधिकार स्वतः समाप्त हो चुके है। इस लिये स्वंय द्वारा किये गये बेचान को जब तक वादिनी सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेती तब तक राजस्व न्यायालय में वाद पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में वादिनी का वाद प्रारंभिक स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। वादिनी ने जरिये अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश किया गया। वादिनी ने अपने जवाब में वादपत्र में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए कथन किया कि खसरा संख्या 41/2 के लिए जो तथाकथित बेचान एवं अग्रिम कार्यवाही बताई है उसे प्रारंभ से ही शुन्य मान	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

कर ही वाद पत्र पेश किया है तथा तथाकथित बेचान छल कपट पूर्वक बिना वादीनी के अधिकारों के विरूद्ध शुन्य एवं बेअसर है जिसे शुन्य घोषित मान कर वादिनी खातेदारी की घोषणा चाही है जो कृषि भूमि से संबंधित है तथा विधि द्वारा वर्जित नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद अनुतोषहीन नही मान सकते है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं बेचानामे के निरीक्षण से प्रथम दृष्टया वादिनी अपने खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्वयं द्वारा बेचान की गई विवादग्रस्त कृषि भूमि पर वाद पत्र के माध्यम से खातेदारी अधिकार अनुतोष चाहा है। वादिनी राजस्व रैकर्ड में दर्ज अपने हिस्से को जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.12.2024 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेचान की गई। इस संबंध में वादिनी द्वारा कथन किया कि तथाकथित बेचान छल कपट पूर्वक बिना वादीनी के अधिकारों के विरूद्ध शुन्य है। तथाकथित बेचाननामा को निरस्त किया जाना राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत ऐसा कोई वाद का विचारण नहीं किया जा सकता जो विधि द्वारा बाधित हो। वाद अभी प्रांरभिक स्टेज पर है तथा वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों से वाद में वर्जित अनुतोष की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

उपरोक्त तमाम विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवम् वादिनी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई व्यादेश विचारण विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

हंसमुख कुमार आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी